संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं
मध्यप्रदेश

क्र.9/नर्सिंग/सेल–1/2017 भोपाल दिनांक /02/2017

//आदेश//

श्री अरूण कुमार पटेल की प्रथम नियुक्ति दिनांक 25.07.1976 को आरक्षक के पद पर 9वी बटालियन, वि.स. बल जिला रीवा बी–पायनियर कम्पनी में कि गई (आर. न. 202) । श्री अरूण कुमार पटेल, द्वारा (तत्कालीन आर.क्र.202 9वीं बाटालियन जिला रीवा), जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण 1981 में उत्तीर्ण किये जाने के फलस्वरूप श्री पटेल को कार्यालय कमान्डेन्ट 9वी बटालियन वि.स. बल रीवा, द्वारा मेल नर्स के पद पर आदेश वर्ष 1982 के द्वारा पदोन्नति कर जगदलपुर, जिला बस्तर पदस्थ किया गया। संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश के आदेश कमांक 13834 दिनांक 23.10.1984 के द्वारा श्री अरूण कुमार पटेल, जिला चिकित्सालय जगदलपुर का स्थानान्तरण जिला चिकित्सालय सीधी किया गया।

प्रकरण के संबंध में संचालनालय के पत्र कमांक 9/नर्सिंग/सेल–1/2016/964 दिनांक 08.11.2016 के माध्यम से श्री अरूण कुमार पटेल, मेल नर्स के संबंध में प्रकरण की पूर्ण वस्तुस्थिति के साथ श्री पटेल को संचालनालय में उपस्थित होने के निर्देश दिये गये। जिला चिकित्सालय सीधी के पत्र कमाक स्था./नर्सिंग/2016/775764 दिनांक 09.11.2016 के द्वारा प्रकरण की पूर्ण जानकारी के साथ सेवा अभिलेख की प्रमाणित प्रतियॉ उपलब्ध करायी गयी। श्री अरूण कुमार पटेल को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु दिनांक 15.11.2016 को संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं भोपाल मे आहुत किया गया।

सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक सीधी द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों एवं श्री अरूण कुमार पटेल, मेल नर्स की सेवापुस्तिका की छायाप्रति के अवलोकन से ऐसा कोई प्रमाण नही मिला जिससे यह सिद्ध हो कि श्री पटेल का संविलियन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में हुआ है। श्री अरूण कुमार पटेल, द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई में भी कोई ऐसा अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया जा सका, जिससे यह सिद्ध हो कि श्री पटेल का संविलियन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में हुआ है।

श्री अरूण कुमार पटेल की सेवापुस्तिका में दर्ज प्रविष्टि के आधार पर निम्नलिखित तथ्य प्रकाश में आये :–

1. श्री अरूण कुमार पटेल, पुलिस विभाग रीवा मे आरक्षक के पद पर दिनांक 25.07.1976 नियुक्त हुए थे, इसकी प्रविष्टि सेवा पुस्तिका मे है।
2. सेवा पुस्तिका में प्रविष्टि के अनुसार श्री अरूण कुमार पटेल को जनरल नर्सिंग परीक्षा उत्तीर्ण करने के फलस्वरूप अस्थाई तौर पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से मेल नर्स के पद पर पदोन्नति एवं स्थानान्तण किया जाकर पुलिस अधीक्षक जिला बस्तर के अधीन पदस्थ किया गया (कमांक/9 बाटा0/सैपुलि/7376 दिनांक 10.07.1982)।

निरंतर..........

3. संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं मध्यप्रदेश के आदेश क्र. 13834 दिनांक 23.10.198 के द्वारा श्री अरूण कुमार पटेल, मेल नर्स का स्थानान्तरण जिला पुलिस चिकित्सालय जगदलपुर से स्वंय के व्यय पर जिला चिकित्सालय सीधी किया गया (सेवा पुस्तिका में प्रविष्टि नहीं पायी गयी)।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि श्री अरूण कुमार पटेल, मेल नर्स की मूल सेवाऐं पुलिस विभाग की है।

कार्यालयीन त्रुटिवश स्टाफ नर्सों की वरीयता सूची में श्री अरूण कुमार पटेल, मेल नर्स के नाम की प्रविष्टि होने के कारण संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं के आदेश क्र. /9/नर्सिंग/सेल–1/2014/191 दिनांक 03.03.2014 द्वारा श्री पटेल को पदोन्नति नर्सिंग सिस्टर/हाउसकीपर के पद पर की गई। उक्त पदोन्नति आदेश के सरल क्र 124 पर श्री अरूण कुमार पटेल, का नाम अंकित है।

चूँकि श्री अरूण कुमार पटेल की मूल सेवाऐं पुलिस विभाग की थी। अतः स्टाफ नर्सों की विभागीय वरिष्ठता सूची में श्री अरूण कुमार पटेल के नाम का समावेश एवं इसके फलस्वरूप उनकी पदोन्नति सही नहीं थी। इस कार्यालय के पत्र क्र. /9/नर्सिंग/सेल–1/2016/964 दिनांक 08.11.2016 द्वारा श्री अरूण कुमार पटेल को सूचना पत्र जारी किया गया कि वे दिनांक 15.11.2016 को संचालनालय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें, कि क्यों न स्टाफ नर्स से नर्सिंग सिस्टर के पद पर की गई उनकी पदोन्नति निरस्त कर दी जाये। दिनांक 15.11.2016 को व्यक्तिगत सुनवाई में उनके द्वारा कुछ अन्य अभिलेख प्रस्तुत किये। लेकिन श्री अरूण कुमार पटेल ऐसा एक भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं कर सके जिससे यह सिद्ध हो सके कि उनकी मूल सेवाऐं लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की हैं। इसके विपरीत उपलब्ध दस्तावेजों से यह पूरी तरह सिद्ध है कि अरूण कुमार पटेल की मूल सेवाऐं पुलिस विभाग की हैं।

उपरोक्त तथ्यों पर समग्र रूप से विचार करने के उपरांत मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि चूँकि श्री अरूण कुमार पटेल की मूल सेवाऐं लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की नहीं हैं अतः स्टाफ नर्सों की विभागीय वरीयता सूची में श्री अरूण कुमार पटेल के नाम का समावेश एवं उसके फलस्वरूप उनकी पदोन्नति सही नहीं थी।

अतः विचारोपरान्त संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं के आदेश क्र./9/नर्सिंग/सेल–1/2014/191दिनांक 03.03.2014 द्वारा श्री अरूण कुमार पटेल की नर्सिंग सिस्टर/हाउसकीपर के पद पर की गई पदोन्नति निरस्त की जाती है।

श्री अरूण कुमार पटेल वर्तमान पदस्थापना जिला चिकित्सालय सीधी मध्यप्रदेश की मूल सेवायें पुलिस विभाग की होने के कारण इनकी सेवायें तत्काल प्रभाव से पुलिस विभाग के अधीन वापस की जाती है।

(डॉ.जे.एल.मिश्रा)
संचालक(नर्सिंग)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं
मध्यप्रदेश

पृ.क्र.9 / नर्सिंग / सेल–1 / 2017 / 184 भोपाल दिनांक 28/02/2017

प्रतिलिपि – सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

1. प्रमुख सचिव, म.प्र शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय मध्यप्रदेश।
2. सचिव, म.प्र शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय मध्यप्रदेश।
3. आयुक्त स्वास्थ्य म.प्र.।
4. पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस मुख्यालय भोपाल मध्यप्रदेश।
5. कमान्डेन्ट 9वी बटालियन, (बी–पायनियर कम्पनी) वि.स. बल रीवा।
6. पुलिस अधीक्षक जगदलपुर जिला बस्तर छत्तीसगढ़।
7. संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें रीवा संभाग मध्यप्रदेश।
8. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी / सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक सीधी की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि श्री अरूण कुमार पटेल, मेल नर्स के संबंध में पूर्व में आपके द्वारा संचालनालय को सही जानकारी क्यो नही दी गई स्पष्टीकरण तत्काल संचालनालय को उपलब्ध करावे ।
9. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी / सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक मध्यप्रदेश को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि आपके जिले में कोई मेल नर्स, पुलिस विभाग के कर्मचारी है एवं आपके अधीन पदस्थ होकर कार्य कर रहें है उनकी जानकारी तत्काल ddnursing13@gmail.com पर उपलब्ध कराते हुये हार्ड कॉपी संचालालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्ति करें अन्यथा आपके विरूद्ध अनुशासनात्माक कार्यवाही की जावगी।
10. श्री अरूण कुमार पटेल, मेल नर्स जिला चिकित्सालय सीधी की ओर पालनार्थ।
11. प्रभारी एम.आई.एस स्थानीय कार्यालय की ओर बेवसाईड पर प्रकाशित करने हेतु।
12. आदेश नस्ती।

संचालक(नर्सिग)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं
मध्यप्रदेश